ग्राम *रामानुजनगर* तहसील *रामानुजनगर* जिला *सूरजपुर* के निजी भूमि अर्जन हेतु सामजिक समाघात अध्ययन दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का विशेषज्ञ समूह द्वारा मूल्यांकन

विशेषज्ञ समूह की बैठक दिनांक 31.08.2021 का मूल्यांकन प्रतिवेदन

कलेक्टर सूरजपुर छत्तीसगढ़ के आदेश क्रमांक 3755/भू–अर्जन/2021 सूरजपुर दिनांक 24.07.2021 के द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (सामाजिक समाघात, सहमति तथा जनसुनवाई) नियम, 2016 के तहत ग्राम *रामानुजनगर* तहसील *रामानुजनगर* जिला *सूरजपुर* के निजी भूमि अधिग्रहण हेतु पूर्व में गठित सामजिक समाघात निर्धारण अध्ययन दल द्वारा प्रस्तुत सामजिक समाघात निर्धारण प्रतिवेदन एवं सामाजिक समाघात प्रबंधन योजना के मूल्यांकन हेतु विशेषज्ञ समूह का गठन किया गया है जिसके अनुसरण में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सूरजपुर जिला सूरजपुर के आदेश क्रमांक 2210/भू–अर्जन/2021 सूरजपुर दिनांक 19.08.2021 द्वारा ग्राम *रामानुजनगर* के सामजिक समाघात निर्धारण प्रतिवेदन हेतु बैठक आहूत की गयी। जिसके पालन में आज दिनांक 31.08.2021 को स्थान *कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी सूरजपुर जिला सूरजपुर* में विशेषज्ञ समूह के नामांकित सभी सदस्य उपस्थित रहे।

ग्राम *रामानुजनगर* तहसील *रामानुजनगर* जिला *सूरजपुर* के सामजिक समाघात निर्धारण अध्ययन दल द्वारा प्रस्तुत सामाजिक समाघात निर्धारण प्रतिवेदन एवं राजस्व अभिलेखों आदि के परिक्षण उपरांत मूल्यांकन प्रतिवेदन निम्नानुसार है:–

ग्राम *रामानुजनगर* तहसील *रामानुजनगर* जिला *सूरजपुर* की निजी भूमि कुल रकबा 0.058 हेक्टेयर अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित है जिसमें सड़क का निर्माण किया जाना है।

ग्राम *रामानुजनगर* तहसील *रामानुजनगर* जिला *सूरजपुर* अधिसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अतः इसमें PESA (पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम, 1996) के प्रावधान लागू होते हैं, जिसके तहत ग्राम सभा की सहमति आवश्यक होती है। ग्राम सभा दिनांक 29.08.2020 को आयोजित कर ग्रामीणों को योजना की जानकारी दी गयी। प्रस्तावित भू अधिग्रहण हेतु बहुमत से सहमती प्रदान की गयी है जो की प्रथक से संलग्न है।

प्रस्तावित भू अर्जन में प्रभावित होने वाले कृषकों से सहमती प्राप्त की गयी है। 70 प्रतिशत से अधिक कृषकों द्वारा अपनी सहमति लिखित पत्रक पर दी गयी है निर्धारित पत्रक पृथक से संलग्न हैं।

प्रकरण में ग्राम का कुल रकबा 0.058 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण प्रस्तावित है जिसमे कुल 04 खातेदार प्रभावित हो रहे हैं, जिसमे से 02 कृषक अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं जिसका कुल रकबा 0.0275 हेक्टेयर है एवं 02 कृषक सामान्य वर्ग के हैं जिसका कुल रकबा 0.0305 हेक्टेयर है। अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के कोई भी कृषक प्रभावित नहीं हो रहे हैं।

प्रस्तावित अधिग्रहण में एक खातेदार का अधिकतम रकबा 0.0288 हेक्टेयर है एवं न्यूनतम रकबा 0.0018 हेक्टयेर है। स्पष्ट है की किसी भी कृषक की अधिग्रहित की जाने वाली भूमि इतनी अधिक नहीं है कि उसके जीविकोपार्जन पर परियोजना का विपरीत प्रभाव पड़े। प्रस्तावित भूमि में किसी प्रकार का कोई भवन/शेड आदि नहीं है। कोई भी

31/8/2021 31/08/21 31/8 31/08/21

शासकीय/सार्वजनिक भवन संरचना प्रभावित नहीं होगी। प्रस्तावित अधिग्रहण में प्रभावितों से अर्जन की जा रही कुल भूमि तथा कुल धारित रकबा दर्शाने वाला पत्रक संलग्न है जिसके अवलोकन से स्पष्ट है की कृषकों से बहुत कम भूमि ली जा रही है –

क्रमांक	खातेदार का नाम	कुल धारित भूमि हेक्टेयर में	अर्जन की जा रही भूमि व.मी. में	रिमार्क
1	संध्या सिंह पुत्री त्रिपुरेश्वर शरण सिंह क्षत्रिय सा. देह भूमि स्वामी	4.750	287.50	
2	नरेश राजवाड़े आ. श्यामलाल रजवार सा. देह. भूमिस्वामी	5.190	225.00	
3	राज शर्मा आ. बेदनाथ शर्मा ब्राह्मण अम्बिकापुर भूमिस्वामी	0.01	17.50	
4	बिसनीबाई पति संजय कुमार, धनेस्वरी पति अजय कुमार रजवार सा. देह भूमिस्वामी	0.050	50.00	
	महायोग	**10.00**	**580.00**	

प्रस्तावित अधिग्रहण सड़क सम्बन्धी है जिसका स्वरुप रेखीय (LINEAR) है। ऐसे प्रकरणों में भूमि का रकबा कम होता है तथा प्रभावितों की संख्या अधिक होती है।

उद्देश्य – प्रस्तावित भू अर्जन कर सड़क का निर्माण होगा जिससे क्षेत्र में जन सामान्य की सुविधाओं में वृद्धि होगी कृषकों को अपनी फसल आदि नजदीकी मंडी में ले जाने हेतु अच्छी सड़क उपलब्ध होगी। इस प्रकार प्रस्तावित अधिग्रहण सदभाविक एवं लोक अभियोजन की पूर्ति हेतु आवश्यक है।

यह योजना *छत्तीसगढ़ सड़क विकास निगम* विभाग की है जो शासन का उपक्रम है एवं अधोसंरचना निर्माण का कार्य करता है।

सड़क निर्माण से यातायात की सुविधा पूर्व से बेहतर होगी ग्राम वासियों को बाजार/जिला मुख्यालय/राजधानी तक पहुँच सुगम हो जाएगी जिसके फलस्वरूप आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि होगी। ग्राम वासियों का सामाजिक, शैक्षणिक एवं स्वास्थ्य सुविधाओं का स्तर बेहतर होगा। जन सामान्य की सुविधाओं में वृद्धि होगी, ग्राम वासियों को परिवहन व्यापार कृषि तथा रोजगार के कार्यों हेतु सुविधा प्राप्त हो सकेगी जिसके फलस्वरूप आर्थिक गतिविधियाँ सुदृढ़ होंगी।

प्रस्तावित भू अर्जन में प्रभावितों की भूमि बहुत कम अधिग्रहित की जा रही है उन पर परियोजना का विपरीत प्रभाव पड़ने की सम्भावना नहीं है। न्यूनतम आवश्यक क्षेत्रफल का अधिग्रहण किया जा रहा है जिसके लिए कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है। फलस्वरुप इस योजना से होने वाले लाभ, हानि की तुलना में अधिक है। ये अधिग्रहण सद्भाविक एवं लोक अभियोजन की पूर्ति हेतु आवश्यक है। प्रभावितों को नियमानुसार प्रतिकर एवं पुनर्व्यवस्थापन के प्रावधानों के अनुरूप क्षतिपूर्ति की जा रही है।

31/8/2021 31/08/21

31/08/21

विभाग ने बतलाया की उनके पास पूर्व से अर्जित की गयी कोई भी अनुपयोगी भूमि नहीं है। उपरोक्त विवेचना के आधार पर विशेषज्ञ समूह इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि प्रस्तावित भू–अर्जन, लोक प्रायोजन हेतु आवश्यक है, अर्जन से लाभ अधिक एवं हानि नगण्य है। न्यूनतम भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है जो आवश्यक है। प्रभावितों को नियमानुसार प्रतिकर एवं पुनर्व्यवस्थापन के प्रावधानों के अनुरूप क्षतिपूर्ति दी जावेगी।

अतः विशेषज्ञ समूह प्रस्तावित अधिग्रहण की अनुशंसा करता है।

श्री वहीदुर्रहमान
डिप्टी कलेक्टर
पुनर्व्यवस्थापन विशेषज्ञ

कलेक्टर
सूरजपुर(छ.ग.)

श्री वेद प्रकाश गुप्ता
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
पुनर्व्यवस्थापन विशेषज्ञ

31/8/2021

श्री दीपक सोनी
गैर शासकीय सामजिक वैज्ञानिक

31/08/21

डॉ. जयप्रकाश धीवर
गैर शासकीय सामजिक वैज्ञानिक

श्री सुशीला सिंह, सरपंच
जन प्रतिनिधि

श्री भीम साहू, उप सरपंच उर्फ भीम साहू
जन प्रतिनिधि

श्री हर्षद साहू
अनुविभागीय अधिकारी लो.नि.वि.
तकनीकी विशेषज्ञ